




18.03.2024:-आज पत्रावली प्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र पर पेशी में लिया गया। प्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए। फर्द अहकाम पर अगूठा/हस्ताक्षर करवाये गये। वादी का मूल वादपत्र राजीनामा आधार पर खारिज हो गया। मूल वाद पत्र खारिज होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र खारिज होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमिल दाखिल दफतर हो।


सहायक कमिश्नर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ़

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम



न्यायालय
उपखण्ड

राजेन्द्र सिंह पुत्र काला सिंह जाति कम्बोज
एचएमएच, हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला

— प्रार्थी

बनाम

1. अवतार सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति कम्बोज
एचएमएच हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला
2. गुरदीप सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति कम्बोज
एचएमएच हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला
3. सुरजीत सिंह पुत्र बक्शीश सिंह जाति कम्बोज
एचएमएच हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।
5. जसदेव सिंह पुत्र काला सिंह जाति कम्बोज
एचएमएच हनुमानगढ़ टाउन तहसील व जिला



अस्थाई निषेधाज्ञा

श्रीमान् जी,

